

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा राजस्थान, जयपुर

क्रमांक :- एफ.2(ग)/पदस्थापन/अलेसे-1/5787

दिनांक :- 27.03.2025

शुद्धि पत्र

1. विभागीय आदेश संख्या 167/2024-25 दिनांक 15.01.2025 के क्रम संख्या 76 में अंकित श्री रमेश चौहान, सलेअ-1 (लिंक न. 2122) के कॉलम संख्या 06 में विशेष विवरण में "सलेअ-1 के रिक्त पद पर" के स्थान पर "श्री लखन भाटी, सलेअ-1 के स्थान पर" पढ़ा जावे।
2. विभागीय आदेश संख्या 167/2024-25 दिनांक 15.01.2025 के क्रम संख्या 169 में अंकित श्री अरविन्द बोथरा, सलेअ-1 (लिंक न. 9195) के कॉलम संख्या 04 में वर्तमान कार्यालय में "सहायक आयुक्त, देवस्थान विभाग, जोधपुर" के स्थान पर "उप रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, जोधपुर" पढ़ा जावे।
3. विभागीय आदेश संख्या 167/2024-25 दिनांक 15.01.2025 के क्रम संख्या 215 में अंकित श्री भागीरथ लाल कुमावत, सलेअ-1 (लिंक न. 4081) के कॉलम संख्या 05 में नवपदस्थापन कार्यालय में "महानिदेशक, नागरिक सुरक्षा, जयपुर" के स्थान पर "महानिदेशक, गृह सुरक्षा (होम गार्ड), जयपुर" पढ़ा जावे।
4. विभागीय आदेश संख्या 167/2024-25 दिनांक 15.01.2025 के क्रम संख्या 216 में अंकित श्री लल्लू नारायण शर्मा, सलेअ-1 (लिंक न. 3226) के कॉलम संख्या 04 में वर्तमान कार्यालय में "महानिदेशक, नागरिक सुरक्षा, जयपुर" के स्थान पर "महानिदेशक, गृह सुरक्षा (होम गार्ड), जयपुर" पढ़ा जावे।
5. विभागीय आदेश संख्या 168/2024-25 दिनांक 15.01.2025 के क्रम संख्या 49 में अंकित श्री सुरेन्द्र सिंह, सलेअ-1 (लिंक न. 9704) के कॉलम संख्या 06 में विशेष विवरण में "सलेअ-1 के रिक्त पद पर" के स्थान पर "सलेअ-1 के रिक्त पद के विरुद्ध" पढ़ा जावे।
6. विभागीय आदेश संख्या 168/2024-25 दिनांक 15.01.2025 के क्रम संख्या 102 में अंकित श्री देवपाल मीणा, सलेअ-1 (लिंक न. 9521) के कॉलम संख्या 05 में नवपदस्थापन कार्यालय में "जिला परिषद, बाडमेर" के स्थान पर "जिला परिषद (पंचायत प्रकोष्ठ), बाडमेर" पढ़ा जावे।
7. विभागीय आदेश संख्या 168/2024-25 दिनांक 15.01.2025 के क्रम संख्या 105 में अंकित श्री रमेश कुमार बोहरा, सलेअ-1 (लिंक न. 9343) के कॉलम संख्या 02 में लिंक नम्बर में "9349" के स्थान पर "9343" पढ़ा जावे।
8. विभागीय आदेश संख्या 168/2024-25 दिनांक 15.01.2025 के क्रम संख्या 122 में अंकित श्री ऋषि कुमार मीणा, सलेअ-1 (लिंक न. 9178) के कॉलम संख्या 02 में लिंक नम्बर में "9128" के स्थान पर "9178" पढ़ा जावे।
9. विभागीय आदेश संख्या 168/2024-25 दिनांक 15.01.2025 के क्रम संख्या 148 में अंकित श्री राजेन्द्र कुमार नाई, सलेअ-1 (लिंक न. 9272) के कॉलम संख्या 04 में वर्तमान कार्यालय में "मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, शिक्षा विभाग (प्रारम्भिक), सुजानगढ (चूरु)" के स्थान पर "खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, तारानगर (चूरु)" पढ़ा जावे।
10. विभागीय आदेश संख्या 168/2024-25 दिनांक 15.01.2025 के क्रम संख्या 181 में अंकित श्री राकेश कुमार जैन, सलेअ-1 (लिंक न. 2471) के कॉलम संख्या 04 में वर्तमान कार्यालय में "उपनिदेशक महिला एवं बाल विकास विभाग, धौलपुर" के स्थान पर "उपनिदेशक महिला एवं बाल विकास विभाग, बून्दी" पढ़ा जावे।

नोट:- उक्त शुद्धि पत्र वर्तमान में माननीय न्यायालय/अधिकरण में विचाराधीन स्थगन आदेशों के अन्तिम निर्णय के अध्याधीन रहेगा।



(भूपेश माथुर)

निदेशक एवं पदेन संयुक्त शासन सचिव

क्रमांक :- एफ.2(ग)/पदस्थापन/अलेसे-1/5787
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

दिनांक :- 27.03.2025

1. संबंधित विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष
2. संबंधित कोषाधिकारी
3. श्री..... सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-1/ग्रेड-11 कार्यालय
4. वरिष्ठ निजी सचिव, निदेशक महोदय
5. उप निदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
6. रक्षित / निजी पत्रावली


(के.जी. गुप्ता)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-1)